सा.कर.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामान्य शल्य चिकित्सा), उपाचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) और आचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :— THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 22, 2003/CHAIIKA 1, 1925

[PART 11-SEC. 3(1)]

Ŧ

आ

की औ

रजि

(ii

एस

(iii

4 व उपा

टिप

आयं टिप

विके में त आये अनुभ् संभाग वांछ चार व्

भर्ती व द्वारा त

प्रोन्नति जिसवे

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामान्य शल्य चिकित्सा), उपाचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) और आचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) भर्ती नियम, 2002 है
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, टसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपावद अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अईताएं आदि :--- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अईताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. गिरईहा:--- वह व्यक्ति,--

658

(क) जिसने ऐसे व्यतित से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पर पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

				अनुसूच	वा	dana in s
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह- ज्येष्ठता अथ अच्चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा वा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनु- ज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
आचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण	18600-500- 22100 रु. और प्रैबिटस बंदी भक्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	हा

भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003/चैत्र 1, 1925 659 तीये भर्ती किए जाने जाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि, व्यक्तियों के लिए विहित यदि कोई हो। आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 8 9 10 **गवश्यक : (i) भा**रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) आयु : नहीं सीधे भर्ती किए जाने **ी अनुसूची में स**म्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता शैक्षिक अर्हताएं : हां वाले व्यक्तियों के गैर किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में लिए एक वर्ष। जेस्ट्रीकृत होना चाहिए। ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. एस. ( शल्य चिकित्सा)/एम. स. (सामान्य शल्य चिकित्सा) या समतुल्य। ii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में गचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। प्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अर्थ्यार्थयों की दशा में संघ लोक सेवा ायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। ण्णा 2 :--अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के वेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा ायोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित **नुभव रखने वाले उन** समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की भावना नहीं है। harffer in ser Carr छनीय :- इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम र अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो। ीं की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे , तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा 11 12 नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : सके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :---(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और कार्यकार कि लाग के (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं। उपाचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) की श्रेणी में ऐसे विभागीय П. अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,

1.12114

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

12

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति को अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय	प्रोन्नति समिति है,	तो उसकी संर	चना	- Alipe -	भर्ती करने में किन परिस्थितिये आयोग से परामर्श किया जाएग	U COLUMN THE REAL PROPERTY OF
1. गृह सचिव	13 1 में विचार करने वे व, चंडीगढ़, प्रशास रायुर्विज्ञान शिक्षा उ र्व, सरकारी आयुर्वि चंडीगढ़	नन और अनुसंधान	, चंडीगढ् प्रशास	—जव्यक नन् —सदस्य —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक र करना आवश्यक है।	भाषायः सहयक्षत्र आग्रहातः केः १९४८ १०९ मेह स्वार्थे स्वार्थे आग्रह संस्थाय के विश्वकर्ष्यकर्षे के स्वार्थे अ
1 उपाचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा)	2 2* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	4 16350-450- 18600- 500- 20100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	योग्यता द्वारा चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के उ 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने निर्णायक तारीख भारत में अर्थ्यार्थयों से प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंति होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो अ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश् राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-र्न के पांगी उपखंड, अंदमान और निको द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए	हा द्वारा अनुसार के लिए आवेदन म तारीख स्सम, मणिपुर, मीर के जेले बार
			en di Laterdar Anna Alfred	enders sike tig Enders sinder	बिहित की गई है।) 9 आयु : नहीं	10 सीधे भर्ती किए जाने

8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस. (शल्य चिकित्सा)/एम.एस.	4	
(सामान्य शल्य चिकित्सा) या समगुएष । (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/ प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पण 1:—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा		
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	And a second	

660

-7 2.1

() [ भाग ]]—खण्ड 3(i) ] भारत का राजपत्र :	: मार्च 22, 2003/चैत्र 1, 1925	661
8	9	.10
टेप्पण 2 :— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक से विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने वे अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में र संभावना नहीं है। वांछनीय :— इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित अनुसंधान प्रकाशन।	यर्थियों की दशा संघ लोक सेवा 5 लिए अपेक्षित 3पलब्ध होने की	भूत स्थानिते तः अभि र ्या सालम स्थ
11	12	
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामान्य जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंगंत अल्पकालि 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अध	है। क संविदा भी है) : य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/ ग्रीन ऐसे अधिकारी :—
	(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश (ii) जिन्होंने 14,300-18,300 रु. के र पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और	पद धारंण किए हुए हैं; या
	<ul> <li>(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सी के लिए विहित शैक्षिक और अन्य पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा के पात्र नहीं होंगे।</li> <li>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियु संविदा भी है) के लिए अधिकतम अ अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहा</li> </ul>	अर्हताएं हैं। , जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इस नियुक्ति के लिए विचार किए जा त केन्द्रीय सरकार के उसी या किस ते ठीक पहले धारित किसी अ अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष क्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालि ायु सीमा आवेदन प्राप्त करने उ

13		14
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागी 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 3. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन 4. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय 1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और	— अव्यक्ष — सदस्य — सदस्य — सदस्य प्रोन्नति समिति : — अध्यक्ष	सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
<ol> <li>प्रधानाचाय, सरकारा जायुग्यरान गर्मानवारान अस्पताल, चंडीगढ़</li> <li>संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़</li> </ol>	—सदस्य •सदस्य	

1	2	3	4	5	6		[Part	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ज्येष्ठ प्राध्या (सामान्य	पक 03* (2002)	साधारण	14,300-400-	लागू नहीं	6 50 वर्ष से अधिक न	नहीं।		्र स्7 नहीं
शल्य	(2002) *कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	होता	सरकारी सेवकों के	लिए केन्द्रीय सरव	तर दोग	नहा
चिकित्सा)	आधार पर	समूह 'क' राजपत्रित	450-		जारा किए गए अन्	देशों या आदेशों वे	5 अनमार	
	परिवर्तन किया	राजपात्रत अननु–	18,150 市.		5 वर्ष तक शिथिल	को जा सकती है।	PUT OF STREET	Contraction of the
	जा सकता है।	सचिवीय	और प्रैक्टिस		टिप्पण : आयू-सी	मा अवधारित कर	ने के लिग	Hand in
			बंदी भत्ता		निणायक तारखि भा	रत में अभ्यर्थियों उ	मे आवेटन	ha fit priv
			141 141		प्राप्त करने के लिए	नियत की गई अंग	तेम तारीख	
					होगी। (न कि वह उ	भातम तारीख जो :	असम	
					मेघालय, अरूणाचल नागालैंड, त्रिपुरा, सि	न प्रदेश, ामजारम,	माणपर	a constant
					राज्य के लद्दाख खंड	ापफम, जम्मू-कः	श्मार चेन	
					लाहौल और स्पीति ।	जिले तथा चम्बा-f	् जेल्ले	and the second second
A					क पागां उपखंड, अं	दमान और निको	बार	
					द्वीप या लक्षद्वीप के 3	नभ्यर्थियों के लिए		n an
			-		विहित की गई है।)	in er sen sjan ge	·····································	e ny file ( 
1.00	8			oy first		9 <sup>77</sup> /57-//2023	10	9-16 GROUP
गवश्यक : (	i) भारतीय आयुहि	त्रज्ञान परिषद् अ	नधिनियम, 1956	(1956 का 10	2) लागू नहीं	<u>चोच</u>		
ग जनुसू।चय	। म साम्मालत का	इ मल विश्वा	वहालय या ययन	near and an	April a third	eiai	एक वर्ष	is far meli
गैर किसी रा	ज्य आयुर्विज्ञानः	रजिस्टर सा थ	गातील अपन्ति	ICH Menn	Å*			6.14 1561
जेस्ट्रीकृत हो	ना चाहित ।		गरताप आयुषिः	तान राजस्टर	म			
(ii) faird m	n snegi							
111 19741 4		C						
	ान्यताप्राप्त विश्व	विद्यालय/संस्थ	ा से एम.एस. (	शल्य चिकित्स	Π)/			
भ.एस. (साम	ान्य शल्य चिकित	सा) या समतल	ा से एम.एस. ( न्य।					
म.एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर	गन्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने	सा) या समतुल के पश्चात संबं	न्य । धित विष्ठीयज्ञता में	किसी मालाता				
म.एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुग्	गन्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वेज्ञान महाविद्याल	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/	किसी मालाता				2000 - 1999 1997 - 1999 1997 - 1999 1997 - 1997 1997 - 1997 1997 - 1997
म.एस. (साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुगि जेडेंट/परिदर्श	गन्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने र्वज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप	सा) या समतुल के पश्चात् संबी य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शेक्षण अनभव।	किसी मान्यताऽ 'रजिस्ट्रार/सीन्	गप्त ग्विर			
भ. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुक्ति जेडेंट/परिदर्श प्र्यण 1 : —	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वैज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य	न्य। धित विशेषज्ञता मैं था में प्राध्यापक/ शेक्षण अनुभव। र्याथयों की दशा रं	किसी मान्यताऽ 'रजिस्ट्रार/सीन्	गप्त ग्विर			
भ. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुगि जेडेंट/परिदर्श प्पण 1 : — ायोग के विवे	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वंज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल व	सा) या समतुरु के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य को जा सकती	न्य। धित चिशेपज्ञता में था में प्राध्यापक/ शेक्षण अनुभव। अर्थियों की दशा ‡ं हैं।	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नैं संघ लोक से	गप्त ग्यंर वा			
भ. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुक् जेडेंट/परिदर्श ज्याण 1 : — ायोग के विवे ज्या 2 : —	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वैज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी	सा) या समतुर के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हत	न्य। थित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शेक्षण अनुभव। र्राथयों की दशा ई हैं। एएं) संघ लोक	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग	गप्त गयेर वा के			
भ. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुक् जेडेंट/परिदर्श ज्याण 1 : — ायोग के विवे ज्या 2 : —	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वैज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी	सा) या समतुर के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हत	न्य। थित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शेक्षण अनुभव। र्राथयों की दशा ई हैं। एएं) संघ लोक	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग	गप्त गयेर वा के			
भ. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर जेडेंट/परिदर्श ज्प्पण 1 : — ायोग के विवे ज्प्ण 2 : — वेकानुसार अ	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वंज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी नुसूचित जातियों अ	सा) या समतुरु के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित	न्य। धित चिशेपज्ञता में था में प्राध्यापक/ शेक्षण अनुभव। शर्थियों की दशा ‡ं हैं। एएं) संघ लोक जनजातियों के अ	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नैं संघ लोक से सेवा आयोग प्रथ्यार्थियों की त	गप्त ग्यंर वा के			
भ. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर जेडेंट/परिदर्श ज्यण 1 : — ायोग के विवे ज्या 2 : — वेकानुसार अ तब शिथिल	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों श् की जा सकती हैं	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हत जब चयन के	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शेक्षण अनुभव। र्गीथयों की दशा गं हैं। ाएं) संघ लोक जनजातियों के अ किसी प्रक्रम प्र	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग सभ्यर्थियों की द र संघ लोक से	गप्त गयेर वा के रशा			
भ. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर जेडेंट/परिदर्श ज्याण 1 :— ायोग के विवे ज्या 2 :— वेकानुसार अ तब शिथिल योग की यह	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने र्वज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों थ की जा सकती हैं राय है कि उनके जि	सा) या समतुर के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य की जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षित जि	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। गर्थियों की दशा रं हैं। ाएं) संघ लोक जनजातियों के अ किसी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि में संघ लोक से सेवा आयोग रभ्यर्थियों की ट र संघ लोक से के लिप अपेष्ठि	गप्त 1यंर वा के रशा 1या			
भ. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर जेडेंट/परिदर्श ज्याण 1 :— ायोग के विवे ज्या 2 :— वेकानुसार अ तब शिथिल योग की यह	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वैज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों थ की जा सकती हैं राय है कि उनके नि	सा) या समतुर के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य की जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षित जि	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। गर्थियों की दशा रं हैं। ाएं) संघ लोक जनजातियों के अ किसी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि में संघ लोक से सेवा आयोग रभ्यर्थियों की ट र संघ लोक से के लिप अपेष्ठि	गप्त 1यंर वा के रशा 1या			
H. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर जेडेंट/परिदर्श ज्य्यण 1 : — विकानुसार अ तब शिथिल व्योग की यह नुभव रखने ब नावना नहीं है	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वैज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों थ की जा सकती हैं राय है कि उनके नि	सा) या समतुर के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य की जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षित जि	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। गर्थियों की दशा रं हैं। ाएं) संघ लोक जनजातियों के अ किसी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि में संघ लोक से सेवा आयोग रभ्यर्थियों की ट र संघ लोक से के लिप अपेष्ठि	गप्त गयंर वा के शा वा स्त की			
म. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर जेडेंट/परिदर्श ज्येण 1 : — विकानुसार अ तब शिथिल त्योग की यह नुभव रखने ब नावना नहीं है	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वंज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों अ की जा सकती हैं राय हे कि उनको वि ले उन समुदायों के ।	सा) या समतुर के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य की जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षित जि	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। गर्थियों की दशा रं हैं। ाएं) संघ लोक जनजातियों के अ किसी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि में संघ लोक से सेवा आयोग सभ्यर्थियों की द र संघ लोक से के लिए अपेधि उपलब्ध होने प्र	गप्त गयंर विवा के स्ता की			
म. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर जेडेंट/परिदर्श ज्येण 1 : — विकानुसार अ तब शिथिल त्योग की यह नुभव रखने ब नावना नहीं है	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वंज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों अ की जा सकती हैं राय हे कि उनको हि ते उन समुदायों के 1 भर्ती	सा) या समतुर के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य की जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षित जि	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। गर्थियों की दशा रं हैं। ाएं) संघ लोक जनजातियों के अ किसी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि में संघ लोक से सेवा आयोग सभ्यर्थियों की द र संघ लोक से के लिए अपेधि उपलब्ध होने प्र	गप्त गयंर वा के शा वा स्त की	1		
म. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुक् जेडेंट/परिदर्श प्र्यण 1 : — वेकानुसार अ तब शिथिल योग की यह नुभव रखने ब मावना नहीं है सीथी	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वैज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों थ की जा सकती हैं राय है कि उनके हि राय है कि उनके हि 1 1 1 1 1 1 1 1 1	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षियों के	न्य। धित विशेपज्ञता में था में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। प्रथियों की दशा गं हैं। एएं) संघ लोक जनजातियों के अ किसी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने पर्याप्त संख्या में	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग रभ्यर्थियों की द र संघ लोक से के लिए अपेधि उपलब्ध होने : लागू	गप्त ग्यंर गवा के रशा गवा स्त की 12 नहीं होता	14	1 - 12 - 12 - 13 	Service Constraints
4. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुगि जेडेंट/परिदर्श प्र्याण 1 : — ायोग के विवे प्र्याण 2 : — वेकानुसार अ तब शिथिल त्योग की यह तुभव रखने व नावना नहीं है 1 सीथी रु के संबंध	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने विज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी नुसूचित जातियों थे नुसूचित जातियों थे नुसूचित जातियों थे की जा सकती हैं राय है कि उनके नि ले उन समुदायों के । 1 भर्ती 13 में विच्चार करने	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षियों के	न्य। धित विशेपज्ञता में था में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। प्रथियों की दशा गं हैं। एएं) संघ लोक जनजातियों के अ किसी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने पर्याप्त संख्या में	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग रभ्यर्थियों की द र संघ लोक से के लिए अपेधि उपलब्ध होने : लागू	गप्त गयंर वा के रशा त्वा सत की 12 नहीं होता महर्स अवस्	14 नर पर संघ लोक र	1 - 12 - 12 - 13 	Service Constraints
H. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुगि जेडेंट/परिदर्श प्र्याण 1 : — ायोग के विवे प्र्याण 2 : — वेकानुसार अ तब शिथिल खोग की यह तुभव रखने ब नावना नहीं है 1 सीथी 2 र के संबंध गृष्ट सचिव,	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने विज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों थ जुसूचित जातियों थ की जा सकती हैं राय है कि उनके जि ले उन समुदायों के । 1 1 में विच्चार करने वर्डागढ प्रशासन	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षित कि उ अभ्यर्थियों के के लिए समूह	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शेक्षण अनुभव। गथियों की दशा ग हैं। एएं) संघ लोक जनजातियों की दशा ग किसी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने पर्याप्त संख्या में	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग सभ्यर्थियों की द र संघ लोक से के लिए अपेरि उपलब्ध होने : लागू ा प्रोन्नति समि	गप्त ग्यंर गवा के रशा गवा स्त की 12 नहीं होता	14 नर पर संघ लोक र	नेवा आयोग से प	ग्रामर्श
H. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुक् जेडेंट/परिदर्श प्र्यण 1 : — योग के विवे प्र्यण 2 : — वेकानुसार अ तब शिथिल योग की यह तुभव रखने ब नावना नहीं है 1 सीधी ह के संबंध गृह सचिव, आय	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वंज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों थ की जा सकती हैं राय है कि उनके हि ले उन समुदायों के । 1 1 में विचार करने विद्यार करने विद्यार करने	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का सुअर्थित अभ्य को जा सकती अहंता (अहंत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षित फि अभ्यर्थियों के के लिए समूह द अनसंधान च	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। नर्थियों की दशा गं हैं। एएं) संघ लोक जनजातियों की उ जनजातियों के अ किसी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने पर्याप्त संख्या में ' क' विभागीय गंद्रीगढ प्रणायन	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग सभ्यर्थियों की द र संघ लोक से के लिए अपेरि उपलब्ध होने : लागू ा प्रोन्नति समि	गप्त गयंर वा के रशा त्वा सत की 12 नहीं होता महर्स अवस्	14 नर पर संघ लोक र	नेवा आयोग से प	।रामर्श
H. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर जेडेंट/परिदर्श ज्यापा 1 : — वेकानुसार अ तब शिथिल त्योग की यह तुभव रखने ब नावना नहीं है 1 सीर्था 2 के संबंध गृह संचिव, सचिव, आयु प्रधानाचार्य,	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वैज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों थ जुसूचित जातियों थ जुसूचित जातियों थ जुसूचित जातियों थ जुसूचित जातियों थ जुसूचित जातियों थ की जा सकती हैं राय है कि उनके हि राय है कि उनके कि राय है कि उनके जि राय है कि उनके हि राय है कि उनके हि	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का सुअर्थित अभ्य को जा सकती अहंता (अहंत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षित फि अभ्यर्थियों के के लिए समूह द अनसंधान च	न्य। धित विशेषज्ञता में था में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। नर्थियों की दशा गं हैं। एएं) संघ लोक जनजातियों की उ जनजातियों के अ किसी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने पर्याप्त संख्या में ' क' विभागीय गंद्रीगढ प्रणायन	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग रभ्यर्थियों की द र संघ लोक से के लिए अपेशि उपलब्ध होने : लागू लागू - सदस्य	गप्त गयंर वा के रशा वा सत की 12 नहीं होता 12 ति ; प्रत्येक अवस् करना आवश्	14 नर पर संघ लोक रं यक है।	नेवा आयोग से प	म्सामर्था स्रामर्था स्रात्मर्थः २०
म. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुगि जेडेंट/परिदर्श प्र्याण 1 : — वेकानुसार अ तब शिथिल त्योग की यह तुभव रखने व नावना नहीं है 1 सीर्था 2 के संबंध गृह सचिव, सचिव, आयु प्रधानाचार्य, च	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने विज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों थ जुसूचित जातियों थ जुसूचित जातियों थ की जा सकती हैं राय है कि उनके नि हो उन समुदायों के । 1 1 में विचार करने वर्डागढ़ प्रशासन द्विज्ञान शिक्षा औ सरकारी आयुर्विज्ञ डोगढ	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का सुअर्थित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हत जब चयन के लेए आरक्षित कि लेए आरक्षित कि के लिए समूह (अनुसंधान; च ान महाविद्याल	न्य। धित विशेषज्ञता में धा में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। गर्थियों की दशा ग हैं। गएं) संघ लोक जनजातियों की उ किसी प्रक्रम पर विक्सी प्रक्रम पर विक्सी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने पर्याप्त संख्या में 'क' विभागीय बंडीगढ़ प्रशासन य और	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग रभ्यर्थियों की द र संघ लोक से के लिए अपेशि उपलब्ध होने : लागू 	गप्त गयंर वा के रशा वा सत की 12 नहीं होता 12 ति ; प्रत्येक अवस् करना आवश्	14 नर् पर संघ लोक रं यक है।	नेवा आयोग से प	<b>ग्रामर्थ्र</b> मातुरस्य द्वार सम्पन्न स्रि इनीप्र
म. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुगि जेडेंट/परिदर्श प्र्याण 1 : — वेकानुसार अ तब शिथिल त्रोग की यह तुभव रखने ब नावना नहीं है 1 सीधी श्र के संबंध श्रधिन संचिव, आयु प्रधानाचार्य, अस्पताल, चं रंबधित विभा	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने विज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल प अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों थ को जा सकती हैं राय है कि उनके जि ले उन समुदायों के । 1 1 में विचार करने वर्डागढ़ प्रशासन दिज्ञान शिक्षा और सरकारी आयुर्विज्ञ डोगढ़ ग का आचार्य औ	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षित कि के अभ्यर्थियों के के लिए समूह स अनुसंधान; च ान महाविद्यालय र विभागाध्यक्ष	न्य। धित विशेषज्ञता में धा में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। गर्थियों की दशा ग हैं। गएं) संघ लोक जनजातियों की उ किसी प्रक्रम पर विक्सी प्रक्रम पर विक्सी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने पर्याप्त संख्या में 'क' विभागीय बंडीगढ़ प्रशासन य और	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग रभ्यर्थियों की द र संघ लोक से के लिए अपेशि उपलब्ध होने : लागू लागू - सदस्य	गप्त ग्वंग के रशा गवा सत की <u>12</u> नहीं होता ति ; प्रत्येक अवस करना आवश	14 तर पर संघ लोक र यक है।	नेवा आयोग से प	<b>ग्रामर्थ्र</b> मानम <b>र्थ</b> ्र हारफ हारफ इ. इ. इम्रीप्र इ. इम्र- 1
म. एस. ( साम ii) स्नातकोत्तर रकारी आयुगि जेडेंट/परिदर्श प्र्याण 1 : — वेकानुसार अ तब शिथिल त्रोग की यह तुभव रखने ब नावना नहीं है 1 सीधी श्र के संबंध श्रधिन संचिव, आयु प्रधानाचार्य, अस्पताल, चं रंबधित विभा	ान्य शल्य चिकित अर्हता प्राप्त करने वैज्ञान महाविद्याल क/ट्यूटर के रूप अर्हताएं, अन्यथा कानुसार शिथिल अनुभव संबंधी जुसूचित जातियों श की जा सकती हैं राय है कि उनके जि की जा सकती हैं वर्डागढ़ प्रशासन दिज्ञान प्रहाविद्याल	सा) या समतुल के पश्चात् संबं य/शिक्षण संस्थ में 3 वर्ष का f सुअर्थित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हत और अनुसूचित जब चयन के लेए आरक्षित कि के अभ्यर्थियों के के लिए समूह स अनुसंधान; च ान महाविद्यालय र विभागाध्यक्ष	न्य। धित विशेषज्ञता में धा में प्राध्यापक/ शिक्षण अनुभव। गर्थियों की दशा ग हैं। गएं) संघ लोक जनजातियों की उ किसी प्रक्रम पर विक्सी प्रक्रम पर विक्सी प्रक्रम पर रेक्तियों को भरने पर्याप्त संख्या में 'क' विभागीय बंडीगढ़ प्रशासन य और	किसी मान्यताप्र 'रजिस्ट्रार/सीनि नें संघ लोक से सेवा आयोग रभ्यर्थियों की द र संघ लोक से के लिए अपेशि उपलब्ध होने : लागू लागू - सदस्य	गप्त गयंर वि के रशा वि नहीं होता ति ; प्रत्येक अवस करना आवश	14 नर् पर संघ लोक रं यक है।	तेवा आयोग से प	म्हिल्ला साहार सहस्र के शिष्प- हे की की प्र उ जुरु - 1 क्लोब - 2

## New Delhi, the 4th March, 2003

S.R. 126.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Lecturers (General Surgery), Reader (General Surgery), and Professors (General Surgery), in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh,

1. Short title and commencement .---(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturers (General Surgery), Reader (General Surgery) and Professors (General Surgery). Rules, 2003.

(2) They shall come into force as the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in column (5) to (14) of the said Schedule. 4. Disqualification .--- No person,---

(a)

who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b)

who, having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any

5. Power to relax.--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings .- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this

	SC	HEDULE	
Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	The Alternation of the Alternation of the
1. Professor (General Surgery)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Servi Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	(+)
Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-selection post	Age limit for direct rec	ruits	Whether benefit of added year's of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(5)	. (6)		canall <del>a (</del>
Jot applicable	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Governments in accordance with the instru- by the Central Government). Note : The crucial date for de shall be the closing date for from candidates in India (ap prescribed for those in Arunachal Pradesh, Mizoran	etermining the age limit receipt of applications and not the closing date Assam. Meghalaya	Vos

THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 22, 2003/CHAITRA 1, 1925

[Part II—Sec. 3(i)]

(8)       (9)         Essential:       Age         (a)       (b)         (b)       (c)         Essential:       Age         (c)       (c)         (c)       A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;         (ii)       M. S. (Surgery)/M.S. (General Surgery) from a recognized University/Institution or equivalent.         (iii)       Ten year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.         Note 1:       Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.         Note 2:       The analigication(s) regarding experience is/	)) No ational Qualifica- : Yes	en of an e total second and second and an formalise an formalise and a second an and a second and and a second and and a second and	whether by recruitment motion or deputation and perce posts to by by variou (11) ct Promotion (including contract) by direct	nt or by pro- by n/absorption entage of the e filled as methods n/deputation g short term failing which recruitment.
<ul> <li>(b)</li> <li>Essential: Age</li> <li>(c) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;</li> <li>(ii) M. S. (Surgery)/M.S. (General Surgery) from a recognized University/Institution or equivalent.</li> <li>(iii) Ten year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.</li> <li>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</li> <li>Note 2: The application(s) regarding experience is/</li> </ul>	No ational Qualifica- : Yes	One year for direc	ct Promotion (including contract) by direct	g short term failing which recruitment.
Essential :Age(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;Educ tions(ii) M. S. (Surgery)/M.S. (General Surgery) from a recognized University/Institution or equivalent.(iii) Ten year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.Note 1:Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.Note 2:The coulification(s) regarding experience is/	ational Qualifica- : Yes	recruits.	(including contract) by direct	g short term failing which recruitment.
<ul> <li>a State Medical Register or Indian Medical Register;</li> <li>(ii) M. S. (Surgery)/M.S. (General Surgery) from a recognized University/Institution or equivalent.</li> <li>(iii) Ten year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.</li> <li>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</li> <li>Note 2:</li> </ul>		na da ma San Da da Maria Da San (Cana) Da San (Cana)	atton or this meet Prefactor of the Sots to be reach boro takes with r	<ol> <li>Powerta</li> <li>Powerta</li> <li>Powerta</li> <li>Powerta</li> <li>Powerta</li> </ol>
Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :		en dia samana man Ny Rena mandritra mana	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	quired to be provid her special categorie and
Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :				
The combification(s) regarding experience is/	. Ann (1994) 	nultree of 1	Nite and Alternation (International Alternational	there's front (1) 1982-362 1982-362 1982-362 1982-362 1982-362 1982-362 1982-362 1982-362 1982-362 1982-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 1992-362 199
are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of calassion the Union Public Service Commission			461 166 	Surgers) ether sets toos from of cetto a com-sector von-setection pust sector fish
is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		alan King Ing Man King Ing Providential Man King Ing	(Actional)	(c) strictings
Desirable : Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.	and the second se	episarian episarian na na obilinationa aparta aparta aparta	n da da National National	

664

1

(12)

2.

# भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003/चैत्र 1, 1925

In case of recruitment by promotion/deputation absorption, grades from which promotion/ deput\_on/absorption to be made

Promotion/Deputation (including Short-term

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

(13)

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

665

#### (14)

Promotion/	Deputation (including Short-term	(15)	(14)
I. Officers Union T nomous tions :	s of the Central/State Governments/ Ferritories/Statutory Bodies/Auto- Organizations/Research Institu- olding analogous posts on regular is OR th two years' regular service in s in the scale of pay of Rs. 16400 00/- or equivalent; and	<ul> <li>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)</li> <li>1. Home Secretary, Chandig Administration—Chairma</li> <li>2. Secretary, Medical Educa and Research, Chandigar Administration—Member</li> <li>3. Principal, Government Me College and Hospital, Chandigarh—Member</li> </ul>	: is necessary on each garh occasion. an tion
quan	essing the educational and other ifications prescribed for direct ilts under column (8).		
II. The Depa (General S in the gra outsiders appointm	rtmental Officer in the grade of Reader Surgery) with two years' regular service de will also be considered alongwith and in case he/she is selected for ent to the post, the same shall be have been filled by promotion.		A basic firm of an
The Depar who are in be eligible deputation	tmental Officer in the feeder category the direct line of promotion shall not for consideration for appointment on . Similarly, deputationists shall not for consideration for appointment by		A M G A Constant International International First sector International State International International International
held immed the same or of the Centra exceed five appointment contract) sh	Deputation/Contract including period on/Contract in another ex-cadre post- liately preceding this appointment in some other organization/department al Government, shall ordinarily not years'. The maximum age limit for t by deputation (including short term all be not exceeding fifty six year's closing date of the receipt of		Professorial and a second s technologies Alternatives Learnatives Second second se
	and the second second		bik ser noksere en om het soleten noSonders Tebrs, fat me
(1)	(2)	(3)	(4) (4)
2. Reader (General Surgery)	02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	(4) Rs. 16,350-450-18,600-500- 20,100/- PLUS Non-practicing allowance

THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22, 2003/CHAITRA 1, 1925

[Part II—Sec. 3(i)]

666	THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22, 2003/CHAITRA 1, 19	Contract and setting and the
(5)	(6)	ATTACK STATE TO A STATE OF STATE
Selection by merit	Not exceeding fifty years.	Yes.
	(Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	
	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Ottoretaat Die Grannele Uhaan Bornersaat same beogenig Die Ottoretaan en die Die Ottoretaan en die Die Ottoretaan en die die Die Ottoretaan Die Ottoretaan D

8	(9)	(10)	(11)
<ul> <li>Essential:</li> <li>(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;</li> <li>(ii) M. S. (Surgery)/M.S. (General Surgery) from a recognized University/Institution or equivalent.</li> <li>(iii) Five year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a Recognized Medical College/Teaching Institution.</li> <li>Note 1:</li> <li>Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</li> <li>Note 2:</li> <li>The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union</li> </ul>	tions : Yes		50% Promotion, failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment. 50% deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.
Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to b available to fill up the posts reserved for them <b>Desirable :</b> Minimum four Research Publications indexe	s f n f g e 1.	gountes or hands handles a hands handles a method	1) Echers Instract (rengta)

Minimum four Research Publications in Index Medicus/National Journals.

promotion.

667

#### at (13) Promotion : Senior Lecturer (General Surgery) (14) Group 'A' Departmental Consultation with Union with two year's regular service in the grade. Promotion Committee (for Deputation (including Short-term Contract): Public Service Commission considering Promotion): is necessary while making 1. Chairman/Member, Officers of the Central/State Governments/ direct recruitment and Union Public Service Union Territories/Statutory Bodies/Autoappointing an officer on Commission --- Chairman nomous Organizations/Research Institudeputation (including 2. Home Secretary, Chandigarh short-term contract). tions :---Administration -- Member (a) (i) holding analogous posts on regular 3. Secretary, Medical Education basis and Research, Chandigarh Administration -- Member (ii) with two year's regular service in 4. Principal, Government Medical posts in the scale of pay of Rs. 14300-College and Hospital, 18300/- or equivalent; and Chandigarh -Member (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8). The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years'. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).

be eligible for consideration for appointment by

PP- Contraction of the second se			A. 2007
			) <del>de sourcementer and services en la source de la sour ou comparisonalistica de la source de l</del>
(1)	(2)	(3)	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
<ol> <li>Senior Lecturer (General Surgery)</li> </ol>	03* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-15,900-450- 18,150/- PLUS Non-practicing allowance
			all the Gig experience plicated and
(5)	(6)		(7)
Not applicable	Not exceeding fifty years.		No
Incia Incia	(Relaxable for Governmen in accordance with the inst by the Central Government	ructions or orders issued	No: applicario
	Note : The crucial date for a shall be the closing date fo from candidates in India (	r receipt of applications	an an an tha san tha san tan an t An an tan an t

## [PART II-SEC. 3(i)]

Arunachal Prad Tripura, Sikkin Kashmir State,	those in Assar esh, Mizoram, Mar I, Ladakh Division Lahaul and Spiti d Chamba district of H Vicobar Islands or I	nipur, Nagaland, n of Jammu and listrict and Pangi (imachal Pradesh,	with two years wrogodan sees top in the Organization (inclosing Short-town C Officers of the Contract Street ( Union Territories Stretters (the noments Organizationes) (the figure
Anuamartana			(a) (i) holding analogood overe . Auste
	(9)	(10)	( <b>11)</b>
	Not applicable	Oneyear	Direct recruitment
<ul> <li>Essential:</li> <li>(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;</li> <li>(ii) M. S. (Surgery)/M.S. (General Surgery from a recognized University/Institution or equivalent.</li> <li>(iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecture Registrar/Senior Resider Demonstrator/Tutor in a Recognize Medical College/Teaching Institution Note 1:</li> <li>Qualifications are relaxable at the discretion the Union Public Service Commission in configuration.</li> </ul>	y) on he ng er/ nt/ .ed m. n of		<ul> <li>(A 100- et contration and</li> <li>(b) presentation of activities and</li> <li>(c) presentation of activities and</li> <li>(c) presentation of activities and</li> <li>(c) presentation of a second of a</li></ul>
Note 2 : The qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of the Un Public Service Commission in the case candidates belonging to the Scheduled Ca or the Scheduled Tribes. If at any stage selection, the Union Public Service Commi- is of the opinion that sufficient numb candidates from these communities posses the requisite experience are not likely available to fill up the posts reserved for	e of astes ge of ssion er of ssing to be	9 fffty ) thus.	Autora (1997) Autora (1997) Autora (1997) Autora (1997) Autora (1997) (14)
(12)		(13) oup 'A' Departmenta	Consultation with Unic
(12) Not applicable	Pro con	motion Committee ( isidering confirmati	(for Public Service Commis ion): is necessary.



#### CORRIGENDUM

#### New Delhi, the 25th November, 2004

**G.S.R. 414.**—Reference Notification published vide G.S.R. 40 in the Gazette of India dated 14th February 2004 regarding the post of Principal Library and Information Officer. The following changes may be made in the said Notification and its Schedule :

	Existing	To be replaced with
1. Short title and com- mence- ment	called the Ministry	These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pen- sions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Principal Library and Information Officer Recruitment Rules, 2004.
Row 2 in the Schedule— Number of posts.	1* (2003) *subject to variation depen- dent on workload.	1* (2004) *subject to variation depen- dent on workload.

[F.No. 13012/1/2002-Academy Desk]

JAGMOHAN GUPTA, Director (Training)

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

#### ( स्वास्थ्य विभाग )

### नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 415.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चण्डीगढ़ ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामान्य शल्य चिकित्सा), उपाचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा), और आचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा),भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चण्डीगढ़ ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामान्य शल्य चिकित्सा) उपाचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) और आचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 हैं।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चण्डीगढ् ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामान्य शल्य चिकित्सा) उपाचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) और आचार्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) भर्ती नियम 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया हैं) में :—

(क) नियम 1 के उपनियम 1 में '' 2002'' के अंकों के स्थान पर '' 2003'' अंक रखे जाएंगें,

(ख) उक्त नियम में क्रम संख्यांक 2 में वर्णित पद के सामने :—

 (i) स्तम्भ 5 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर 'निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :-- ''चयन''

(ii) स्तम्भ 13 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्
 निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- गृह सचिव, चण्डीगढ प्रशासन अध्यक्ष
- सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, —सदस्य चण्डीगढ प्रशासन
- प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सदस्य और अस्पताल, चण्डीगढ़ं
- संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सदस्य सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चण्डीगढ़

[संख्या वी.-24011/9/2002-एम.ई.डेस्क-II]

एस० के० मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : — मूल नियम सा.का.नि. सं. 126 तारीख 4 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY, WELFARE

#### (Department of Health)

New Delhi, the 22nd November, 2004

G.S.R. 415.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturers (General Surgery), Reader (General Surgery) and Professor (General Surgery) Recruitment Rules, 2002, namely :—

- (i) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturers (General Surgery), Reader (General Surgery) and Professor (General Surgery) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturers (General Surgery), Reader (General Surgery) and Professor (General Surgery) Recruitment Rules, 2002 hereinafter referred to as the said rules.

(a) In sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002" the figures "2003" shall be substituted,

(b) In the said rules, against the post appearing at serial number 2,—

(i) under column 5, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :----

"Selection"

(ii) Under column 13, after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely :----

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), consisting of :—

1. Home Secretary, Chandigarh — Chairman Administration

- Secretary, Medical Education and —Member Research Chandigarh Administration
- Principal, Government Medical —Member College and Hospital, Chandigarh
- Professor and Head of the —Member"
   concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh.

[No. V.-24011/9/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

Footnote :—The principal rules were published vide number G.S.R. 126 dated the 4th March, 2003.

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 416.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चण्डीगढ़ ज्येष्ठ प्राध्यापक (कान, नाक, गला), उपाचार्य (कान, नाक, गला), उपाचार्य (कान, नाक, गला) और आचार्य (कान, नाक, गला), भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चण्डीगढ़ ज्येष्ठ प्राध्यापक (कान, नाक, गला), उपाचार्य (कान, नाक, गला) और आचार्य (कान, नाक, गला), भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 हैं।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चण्डीगढ़ ज्येष्ठ प्राध्यापक (कान, नाक, गला), उपाचार्य (कान, नाक, गला) और आचार्य (कान, नाक, गला), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया हैं) में :--

(क) नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर''2003'' अंक रखे जाएगें।

(ख) उक्त नियम में, क्रम संख्या 2 में वर्णित पद के सामने;

(i) भारत के राजपत्र में, सा.का.नि. संख्या 129 तारीख 4 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के हिन्दी पाठ में स्तम्भ 12 के अधीन पृष्ठ 695 में ''उपाचार्य'' शब्द के स्थान पर ''ज्येष्ठ प्राध्यापक'' रखा जाएगा, और उसी पृष्ठ के हिन्दी पाठ में प्रोन्नति अवधि ''3 वर्ष'' के स्थान पर ''5 वर्ष'' रखी जाएगी।

[ संख्या वी. 24011/9/2002-एम.ई.डैस्क-II ]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : — मूल नियम भारत के राजपत्र सा.का.नि. संख्या 129 तारीख 4 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 22nd November, 2004

G.S.R. 416.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturers (E.N.T.), Reader (E.N.T.) and Professor (E.N.T.) Recruitment Rules, 2003, namely :—

- (i) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturers (E.N.T.), Reader (E.N.T.) and Professor (E.N.T.) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturers (E.N.T.), Reader (E.N.T.) and Professor (E.N.T.) Recruitment Rules, 2003 hereinafter referred to as the said rules;

(a) In sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002" the figures "2003" shall be substituted,

(b) In the said rules, against the post appearing at serial number 2,—

(i) under column 12, in Hindi version of the notification published in the Gazette of India at page 695, *vide* G.S.R. No. 129 dated 4th March, 2003, the word "Reader" shall be substituted by "Senior Lecturer", and in the Hindi version at the same page the deputation period "3 years" may be substituted as "5 years".

[No. V.-24011/9/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

Footnote :—The principal rules were published vide number G.S.R. 129 dated the 4th March, 2003.

2281